REGD NO D L-33004/99

ANNEXURE-II

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2002/आश्विन 3, 1924
No. 196] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2002/ASVINA 3, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2002

सं. एन-10/3/2000-पी.बी. सैल (खंड 1).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम एतद्द्वारा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रक्रिया तथा कारोबार आचरण) विनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. इन नियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रक्रिया तथा कारोबार आचरण) (संशोधन) विनियम, 2002 कहा जाएगा।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रक्रिया तथा कारोबार आचरण) विनियम, 2000 में—

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (2) में "विनियम 7 के उप-विनियम (3) के अनुसार कोई भी" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को "कोई भी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ख) विनियम 7 को हटा दिया जाएगा।

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[सं. विज्ञापन III/IV/असाधा./163/02]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2002

No. N-10/3/2000-PB Cell (Vol. I).—In exercise of the powers conferred by Section 33 read with Sub-section (1) of Section 8 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation hereby makes the following regulations to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Procedure and Conduct of Business) Regulations, 2000, namely :—

1. These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Procedure and Conduct of Business) (Amendment) Regulations, 2002.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Procedure and Conduct of Business) Regulations, 2000—

(a) In sub-regulation (2) of regulation 4, for the words, brackets and figures "Subject to sub-regulation (3) of regulation 7, any" the word "Any" shall be substituted; and

(b) regulation 7 shall be deleted.

K. S. SARMA, Executive Member

[No. ADVT-III/IV/Exty./163/02]

3546 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, Delhi-110024
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054